राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ.।

आरोपी भगवत कुशवाह, श्यामलाल निरोध में जेल गोहद से मय वारण्ट पेश की ओर से अधिवक्ता श्री जी०एस० निगम उप०।

प्रकरण उपार्पण तर्क हेतु नियत है। उपार्पण तर्क श्रवण किये गये।

प्रस्तुत प्रकरण में आरक्षी केन्द्र मालनपुर द्वारा अपराध कमांक 122/17 अंतर्गत धारा 304बी/34, भा.द.सं एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के अधीन अभियोग पत्र आरोपी भगवत कुशवाह पुत्र श्यामलाल कुशवाह उम्र 25 वर्ष एवं आरोपी श्यामलाल पुत्र रामसहाय कुशवाह उम्र 55 वर्ष निवासीगण ग्राम माहौ थाना मालनपुर जिला भिण्ड म.प्र. के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

अभियोगपत्र व संलग्न दस्तावेजो के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या आरोपीगण के विरुद्ध धारा 304बी/34, भा.द.सं एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के विचारण के पर्याप्त तथ्य विद्यमान है जिसमें से धारा 304बी भा.द.स. का अपराध अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है अतः प्रस्तुत प्रकरण द.प्र.स. की धारा 209 के अंतर्गत माननीय सत्र न्यायालय भिण्ड की ओर सादर उपार्पित किया जाता है।

आरोपीगण को द.प्र.स. की धारा 207 के अंतर्गत अभियोग पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों की निःशुल्क प्रतियां प्रदान की जा चुकी है।

प्रकरण में एफ.एस.एल. रिपोर्ट संलग्न है।

प्रकरण में आरोपीगण अभिरक्षा में है अतः सब जेलर गोहद को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी नियत दिनांक 28.11.17 पर प्रातः 11:00 बजे आरोपीगण को माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष आवश्यक रूप से उपस्थित रखे। उक्त संबंध में जेल वारण्ट पर टीप अंकित की जावे। उपार्पण की सूचना नायब नाजिर मालखाना, जिला लोक अभियोजन अधिकारी भिण्ड को प्रेषित की जावे।

प्रपत्र माननीय सत्र न्यायालय भिण्ड को प्रेषित

किया जावे।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी, गोहद